147

संख्या–550/XVIII-(2)/F/12-18(01)/2012 TC-I

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 23 नवम्बर, 2012

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में माह अगस्त, 2012 में बादल फटने तथा भारी वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी मद में राहत सहायता वितरण तथा राहत एवं बचाव कार्यो के सम्पादन से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–418/तेरह–22(2011-12), दिनांक 01 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी में माह अगस्त, 2012 में बादल फटने तथा भारी वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी मद में राहत सहायता वितरण हेतु ₹ 200.00 लाख तथा राहत एवं बचाव कार्यो के सम्पादन से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु ₹ 50.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 250.00 लाख (₹ दो करोड़, पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु शासनादेश संख्या–344/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 28 जून, 2012 के माध्यम से कुछ राहत मदों में सहायता राशि बढ़ा दी गई है। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3– भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति पूर्व में आपको प्रेषित करा दी गई है। जिन दरों को राज्य सरकार द्वारा उक्त शासनादेश के माध्यम से पुनरीक्षित कर दिया गया है, उन मदों में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित राहत सहायता ही उपलब्ध करायी जायेगी। शेष मदों में केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों पर राहत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी, आपदा राहत शिविर संचालन, खोज–बचाव कार्यो की मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

5– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

6– स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परतापूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों में शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि वितरण सुनिश्चित हो सके।

7– प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9– स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय शासनादेश पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में कोषागार नियम–24 के अंतर्गत धनराशि का तभी आहरण किया जाए, जब जनपद के पास इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न हो एवं धनराशि का तत्काल वितरित किया जाना आवश्यक हो। आहरित धनराशि प्रत्येक दशा में तीन दिन के अन्दर वितरित कर दी जाए।

12– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13 आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–117NP/वित्त अनु0–5/2012 दिनांक 12 नवम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या–550(1)/XVIII-(2)/F/12-18(01)/2012,TC-I ,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशलालय, उत्तराखण्ड।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव